APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी		प्रतिवादी
धुलजी व वगैरह 4	बनाम	लक्ष्मण वगैरह 4

किस्म मुकदमा—(~~वाद~~ प्रार्थना पत्र) 212 RTA प्रकरण संख्या— 44 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-7-2021	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। ~~वादी~~ प्रार्थी श्री धुलजी पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा द्वारा ~~वाद~~ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ अप्रार्थीगण श्री लक्ष्मण पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी कुपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 25-8-2021 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
25-8-21	पत्रावली पेश। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए। सम्मनों को पत्रावली में शामिल किया। जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27-9-21 को पेश हो। Sd/-	
27-9-21	पत्रावली पेश। श्रीमान P.O. साहब प्रशासन [illegible] के संग अभियान की ड्यूटी [illegible] में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते जवाब 20-12-2021 को पेश हो। Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-2022	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय हाजीर। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-06-2022 को पेश हो। [signature]	
27.6.22	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. आये। पत्रावली का अवलोकन का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये कार्यवाही निषेधाज्ञा मुख्तसर [illegible] तक पाबंद किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुना दिया है। पत्रावली [illegible] पूर्ण होकर [illegible] जाकर मुख्यालय के साथ [illegible] है। निर्णय लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]वाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

प्रकरण सं. – 44/2021 दायर तारीख – 16-7-21

उनवान

धुला जी पिता शंकर लाल जाति ब्राह्मण नि. कुपड़ा
व अन्य (प्रार्थीगण)

बनाम

लक्ष्मण पिता हीरा लाल जाति ब्राह्मण नि. कूपड़ा
व अन्य
(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

1. श्री प्रवीण सुथार – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजकुमार जैन – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 212 आर.टी.ए. :–

~ निर्णय ~

दिनांक – 28/6/22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुपड़ा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त आधिपत्य की आराजी ख. नं. 373 रकबा 02 बिस्वा, ख. नं. 404 रकबा 01 बीघा, ख. नं. 843 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, ख. नं. 844 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, ख. नं. 845 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा ख. नं. 865 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, ख. नं. 903 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 523 रक[illegible] ख. नं. 621 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 09 [illegible] बिस्वा स्थित होकर सम्वत 20[illegible] काबिज काश्त है।

अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के पूर्वज स्व. हिरालाल ने उक्त वादग्रस्त आराजियात को शंकरलाल के जीवित रहते

Cont....

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कर्मियों से मिलिभगत कर सम्पूर्ण खाता गंगाराम की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासती नामान्तरण 257 दिनांक 13.06.1975 को अपने नाम करवा लिया। जानकारी के बाद शंकरलाल ने जरिये वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निर्णय 34-15 दिनांक 22-01-1986 की पालना में नामान्तरकरण 520 दिनांक 16.06.1986 खातेदार-सह काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया तब से दोनों भाई वादग्रस्त आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है।

हिरालाल ने प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2001 में वादग्रस्त आराजियात का बँटवारा ½-½ करवाने के नाम पर कुल किता 09 कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से स्वयं के हिस्से में 07 बीघा 11 बिस्वा तथा शंकरलाल के हिस्से में 03 बीघा 14 बिस्वा का गैर विधिक बँटवारा करवा लिया।

वादग्रस्त आराजियात में ख. नं. 844 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि बंजर होने से पूर्वजों शामलाती रही थी जिस पर दोनों भाइयों का आधा-आधा हिस्सा रहेगा। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से पर पशुओं हेतु शेड बना रखा है अप्रार्थी सं. 2 ने 2 माह पूर्व हमें एकोनिया धमकी देते हुए कहा कि यह भूमि मेरी है यहाँ पत्थर इत्यादि तत्काल हटा ले। इस प्रकार अप्रार्थीगण हमें बेदखल करने पर आमादा है। हमें काश्तकारी अधि० की धारा-19 के तहत खातेदार कृषक बन गये है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा हमें बेदखल कर दिया जाता है तो [illegible]।

प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में [illegible] सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी [illegible]।

ख. नं. 844 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा (वर्तमान 2 बीघा 17 बि०) ग्राम कूपड़ा पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है जरिये म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 13.6.75 से आराजीयात हिरालाल ने अपने नाम करवा ली। तत्पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा के निर्णय 314-15 दि. 22.1.86 से हमें सहखातेदार के रूप में 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ जिस पर आदिनांक काबिज काश्त है। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2001 में धोखे से असमान बंटवारा करवा लिया ख. नं. 844 हमारे कब्जे में है उक्त विभाजन प्रारम्भतः शून्य है। अतः उक्त खसरे पर विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने साथी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये निवेदन किया जो तर्क दिये गये वो अभिवचनों से विरोधाभासी है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन 2001 में हो चुका है जो कि सहमति से हुआ, को चुनौती नही दी जा सकती [illegible] के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते [illegible] कब्जा नहीं है व खातेदारी [illegible] जो वाद पेश किया है वह घोषणा का है कि विभाजन का। अतः निवेदन है कि खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मय हर्जे खर्चे प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमावें। इसके

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 1233 - 2019(2), RRT-1225 [2018 (2)], RRT-47 [2020(1)], RRT-259 [2017 (1)] व RRT-637 [2016-17] प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष पर गौर किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन किया।

नामान्तरण क्र. 257 के पश्चात् उपखण्ड-अधिकारी बांसवाड़ा के निर्णय उपरान्त शंकर लाल व हिरालाल के नाम वादग्रस्त आराजियात ½-½ नहरी खातेदारी के रूप में दर्ज हुयी जो कि जमाबंदी 2044-47, 2052-55 से प्रमाणित है। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2001 में शंकर लाल व हिरा लाल ने जरिये प्रार्थना-पत्र तहसीलदार बाँसवाड़ा को आपसी सहमति से खाता सं. 306 का बटवारा करने का निवेदन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा संलग्न स्टाम्प किसने इश्यू करवाये का अंकन नहीं है और स्टाम्प रिक्त है। इससे स्पष्ट है कि शंकर लाल को उक्त बँटवारे के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी गयी।

उक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested

-क्रियात्मक आदेश-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी ख. नं. 844 ग्राम धुपड़ा पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार की दखल-अंदाजी, अंतरण न स्वयं करे और न ही किसी अन्य से (मूल वाद के निस्तारण तक) करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

दिनांक - 28/6/22

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested